कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 234/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.06.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

● शांति व्यवस्था भंग करने पर थाना जहानागंज पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, 16 व्यक्तियों का बीएनएसएस के तहत चालान

● भूमि विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर संभावित अप्रिय स्थिति को टाला

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन सिंह के कुशल निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी जहानागंज श्री अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 18.06.2026 को थाना क्षेत्र के ग्राम कडासर में दो पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश एवं बच्चों के विवाद को लेकर तथा ग्राम धनहुआ में दो पक्षों के मध्य घर एवं भूमि बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों स्थानों पर पक्षकार आपस में वाद-विवाद एवं हाथापाई पर आमादा थे, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची थाना जहानागंज पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु उनके द्वारा विवाद समाप्त करने के बजाय आक्रामक व्यवहार जारी रखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एवं शांति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत थाना जहानागंज पुलिस द्वारा कुल 16 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए चालान किया गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर मा0 उप जिलाधिकारी सदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

चालान किए गए व्यक्तियों का विवरण-

ग्राम कडासर, थाना जहानागंज

प्रथम पक्ष

1. चंद्रिका पुत्र जगदीश, उम्र 29 वर्ष
2. संदीप पुत्र राजेश, उम्र 21 वर्ष
3. सविता पत्नी रामू, उम्र 45 वर्ष
4. नंदनी पत्नी रामप्रवेश, उम्र 30 वर्ष

द्वितीय पक्ष

1. आनंद कुमार पुत्र सूर्यभान, उम्र 28 वर्ष
2. जानसी पुत्र प्रमोद कुमार, उम्र 20 वर्ष
3. शंकर पुत्र सुमेर, उम्र 58 वर्ष

ग्राम धनहुआ, थाना जहानागंज

प्रथम पक्ष

1. छविलाल कन्नौजिया पुत्र स्व0 रामधन, उम्र 59 वर्ष
2. संदीप पुत्र छविलाल कन्नौजिया, उम्र 18 वर्ष
3. कन्हई उर्फ राजू, उम्र 35 वर्ष
4. मुन्नी देवी पत्नी छविलाल, उम्र 55 वर्ष
5. सुनीता पुत्री छविलाल, उम्र 22 वर्ष

द्वितीय पक्ष

1. श्रवण कन्नौजिया पुत्र छविलाल, उम्र 35 वर्ष
2. रेणु पत्नी श्रवण कन्नौजिया, उम्र 30 वर्ष
3. गोलू पुत्र श्रीलाल कन्नौजिया, उम्र 35 वर्ष
4. अंगद पुत्र श्रीलाल कन्नौजिया, उम्र 34 वर्ष

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 विनय कुमार, का0 संदीप कुमार, हे0का0 अच्छेलाल यादव, रि0का0 दीपक कुमार, रि0का0 धर्मपाल यादव, रि0का0 ऋषभ, रि0का0 नितेश कुमार वर्मा, रि0म0का0 अनीमिका यादव, रि0म0का0 निकिता सिंह, रि0म0का0 अवन्तिका तिवारी, रि0म0का0 नेहा सिंह एवं रि0का0 पूर्णिमा मिश्रा शामिल रहीं।

थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

● मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

● घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय

दिनांक 17.06.2026 को वादिनी श्रीमती रेखा पत्नी सुजीत कुमार निवासी ग्राम विद्यापुर असौसा, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि मोबाइल फोन पर हुए विवाद को लेकर उनके देवर शनि कुमार पुत्र साहब राज निवासी ग्राम विद्यापुर असौसा, थाना मेहनगर द्वारा उनके पति सुजीत कुमार को गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल का उपचार पीजीआई में चल रहा है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0-211/2026 धारा 109(1)/352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.06.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शनि कुमार पुत्र साहब राज निवासी ग्राम विद्यापुर असौसा, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष को समय 23:37 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा गया।
गिरफ्तार अभियुक्त-
शनि कुमार पुत्र साहब राज निवासी ग्राम विद्यापुर असौसा, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-211/2026 धारा 109(1)/352 बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 इन्द्रजीत पटेल, उ0नि0 जयप्रकाश नारायण, का0 विकास यादव एवं का0 आदित्य पाण्डेय की टीम द्वारा प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

● ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले युवक की काउंसलिंग

● अभिभावकों की उपस्थिति में कानून, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग के संबंध में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के कुशल नेतृत्व में थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन वज्रपात के अंतर्गत क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के दौरान यह संज्ञान में आया कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर "टीम 0777 गैंग" के नाम से समूह बनाकर मोटरसाइकिलों के साथ झुंड में भ्रमण करते हुए वीडियो एवं फोटो पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।
थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा ऐसे नवयुवकों की पहचान करते हुए गैंग के सदस्य कृष्णा गौड़ पुत्र सत्य नारायण गौड़ निवासी ग्राम सरायपल्टू, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ को चिन्हित किया गया। तत्पश्चात उसे थाना परिसर में उसके अभिभावकों की उपस्थिति में बुलाकर काउंसलिंग की गई।
काउंसलिंग के दौरान युवक एवं उसके अभिभावकों को कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग तथा उसके दुरुपयोग से होने वाले कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की गैंग गतिविधि अथवा भ्रामक एवं आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने की चेतावनी दी गई।
पुलिस द्वारा अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने, समाजोपयोगी कार्यों में सहभागिता करने एवं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

● नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ एवं लैंगिक अपराध के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

● बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गिरफ्तार

दिनांक 13.06.2026 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 12.06.2026 को पीड़िता घर पर अकेली थी। इसी दौरान अभियुक्त अमन कुमार पुत्र हंसराज निवासी थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ घर में घुस गया तथा पीड़िता के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता के विरोध करने एवं शोर मचाने पर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-198/2026 धारा 75/333/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 65(1) बीएनएस तथा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी महोदय तथा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में म0उ0नि0 रानी साहू मय हमराह द्वारा दिनांक 17.06.2026 को बहाउद्दीनपुर मोड़ के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अमन कुमार पुत्र हंसराज निवासी कुशहाँ, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को समय 21:40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त –
अमन कुमार पुत्र हंसराज निवासी ग्राम कुशहाँ, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग –
मु0अ0सं0-198/2026 धारा 65(1)/75/333/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0-388/2023 धारा 143/152/188/283/341/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट।
2. मु0अ0सं0-198/2026 धारा 65(1)/75/333/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –
म0उ0नि0 रानी साहू, म0का0 सपना तिवारी, का0 दयाशंकर यादव एवं रि0का0 अमित यादव की टीम द्वारा प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

● साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को पुलिस की सक्रिय कार्रवाई से ₹25,146.08 की धनराशि वापस दिलाई गई

● साइबर हेल्प डेस्क की त्वरित कार्रवाई से ठगी गई रकम को होल्ड कराकर पीड़ित को मिली राहत

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 11.12.2025 को एक आवेदक के साथ फेसबुक पर उसके मित्र के नाम से फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी की गई। साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न समस्याओं का बहाना बनाकर आवेदक से कुल ₹1,48,000 की धनराशि प्राप्त कर ली गई। साइबर ठगी की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 23101260013430 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायत प्राप्त होने के पश्चात थाना सरायमीर की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक एवं नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया गया। प्रभावी प्रयासों के फलस्वरूप ठगी गई धनराशि में से ₹49,741.57 को होल्ड कराया गया।

आगे की विधिक एवं तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 16.06.2026 को एमआरएम पोर्टल/माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ₹4,081.08 तथा ₹21,065 की कुल ₹25,146.08 धनराशि आवेदक के बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।
जनपद आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन लेनदेन एवं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धन की मांग किए जाने पर सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

● चोरी की घटना का मात्र 12 घंटे के भीतर सफल अनावरण, दो बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

● चोरी गए सामान एवं नकदी की बरामदगी

दिनांक 17.06.2026 को वादी रामआसरे चौरसिया पुत्र शेखई राम चौरसिया निवासी ग्राम जल्दीपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 14.06.2026 को रात्रि लगभग 02:00 बजे उनके जीजा के घर में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर नकदी, घरेलू बर्तन, गैस सिलेंडर, बैटरी, पानी की मोटर, गेहूं एवं चावल आदि चोरी कर लिए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 152/2026 धारा 305(a), 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पवई पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 18.06.2026 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव, उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित दो बाल अपचारियों को बस्तीचक गुलरा मोड़ के पास से समय 03:40 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बाल अपचारियों की निशानदेही एवं कब्जे से एक अदद इंडेन गैस सिलेंडर, एक अदद EXIDE कंपनी की बैटरी, लगभग 11 किलोग्राम गेहूं, लगभग 15 किलोग्राम चावल, लगभग 500 ग्राम कॉपर तार तथा ₹2,800 नकद बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद इंडेन गैस सिलेंडर
2. एक अदद EXIDE कंपनी की बैटरी
3. लगभग 11 किलोग्राम गेहूं
4. लगभग 15 किलोग्राम चावल
5. लगभग 500 ग्राम कॉपर तार
6. ₹2,800 नकद

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 152/2026 धारा 305(a), 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 संतोष कुमार यादव, उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती, का0 विकास यादव, रि0का0 संदीप प्रजापति एवं का0 अनुराग यादव की टीम द्वारा प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी गए सामान की बरामदगी सुनिश्चित की गई।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

☐ अवैध मदरसे के नाम पर शासकीय अनुदान गबन प्रकरण में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

☐ कूटरचित अभिलेख तैयार कर शासकीय धनराशि के गबन का आरोप

☐ EOW जांच में उजागर मदरसा अनुदान घोटाले में आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

घटना का विवरण-

राज्य विशेष अनुसंधान दल (EOW), मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के निरीक्षक/जांचकर्ता श्री कुँवर ब्रम्ह प्रकाश सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर मदरसा फैजेकौशर निस्बां, रूकमलपुर, अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ (मदरसा आईडी-191100402) के प्रबंधक एवं शिक्षकों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर धोखाधड़ी, कूटरचित अभिलेख तैयार कर उन्हें वास्तविक के रूप में प्रयोग करते हुए फर्जी तरीके से शासकीय धनराशि/अनुदान के गबन किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए।

उक्त प्रकरण के संबंध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-0095/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादवि बनाम रियाज अहमद (मैनेजर), किरन पाल, रेनू यादव एवं अनवार अहमद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 विश्राम गुप्ता द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.06.2026 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता रेनू

यादव पत्नी राकेश कुमार यादव निवासी बनकटा बुजुर्ग थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर, हाल पता मल्लूपुर मझगांवा थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर को उसके निवास स्थान से समय लगभग 08:30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
गिरफ्तार अभियुक्ता-
रेनू यादव पत्नी राकेश कुमार यादव निवासी बनकटा बुजुर्ग थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर, हाल पता मल्लूपुर मझगांवा थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर, उम्र लगभग 35 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-0095/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादवि, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 विश्राम गुप्ता, का0 सुशील कुमार, म0का0 निधि मिश्रा एवं म0का0 रंजना सरोज की टीम द्वारा प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्ता की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
□ ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने वाले 05 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई
□ अवैध गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर पुलिस की कड़ी नजर
□ युवाओं को सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने की दी गई सख्त चेतावनी
□ एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में सोशल मीडिया पर दहशत एवं असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार जारी है अभियान

आजमगढ़। जनपद में कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था को अक्षुण्य बनाए रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सतत निगरानी की जा रही है। अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति, असामाजिक गतिविधियों तथा भय एवं दहशत का वातावरण उत्पन्न करने वाले तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

इसी क्रम में थाना देवगांव पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही आपत्तिजनक पोस्टों का संज्ञान लेते हुए जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर रहे थे तथा अवैध गैंग संस्कृति से संबद्धता प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना देवगांव पुलिस द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई—

1. अभिषेक कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी माधोपुर धारांग, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. निखिल कुमार पुत्र बृजनाथ निवासी गिरधरपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. अरुण पुत्र पप्पू निवासी जोगापट्टी (नन्दापुर), थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
4. करन पुत्र राधेश्याम निवासी जोगापट्टी (नन्दापुर), थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
5. आदित्य पुत्र राजनाथ निवासी जोगापट्टी (नन्दापुर), थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

पुलिस द्वारा सभी व्यक्तियों को सोशल मीडिया के विधिसम्मत एवं जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कड़ी चेतावनी दी गई। साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी, आपत्तिजनक पोस्ट, गैंग संस्कृति के प्रचार-प्रसार अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहने हेतु निर्देशित किया गया।
जनपद पुलिस आमजन, विशेषकर युवाओं से अपील करती है कि सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए करें। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक अथवा दहशत फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने पर कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई की जा रही है तथा भविष्य में भी यह अभियान पूरी दृढ़ता के साथ जारी रहेगा।
कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 ओम प्रकाश सिंह एवं का0 विपिन यादव शामिल रहे, जिन्होंने प्रभारी निरीक्षक देवगांव श्री विमल प्रकाश राय के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में उक्त कार्यवाही संपादित की।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

लूट की घटना का सफल अनावरण: पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त के साथी को भी किया गया गिरफ्तार, लूटा गया मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरण-

दिनांक 15.06.2026 को वादी श्री भंजय सिंह निवासी ग्राम गढ़ा फत्तेपुर, थाना बसखारी, जनपद अंबेडकरनगर द्वारा थाना अतरौलिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 18.05.2026 को रात्रि लगभग 09:00 बजे पूर्वांचल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से पदुमपुर की तरफ जाते समय ग्राम रिठिया के सामने मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी अपाचे मोटरसाइकिल रोककर जबरन उनकी अपाचे मोटरसाइकिल एवं ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन लूट लिया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 227/2026 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस बनाम तीन अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पूर्व में की गई कार्रवाई-

घटना के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.06.2026 को थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा हुई मुठभेड़ में घटना में शामिल अभियुक्त रवि मिश्रा पुत्र अनिल मिश्रा निवासी केदरुपुर, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अंबेडकरनगर को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से लूटी गई अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों विशाल पाठक एवं सर्वेश यादव के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

घटना में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में दिनांक-17/18.06.2026 को रात्रि 11:30 बजे उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा मय हमराह कर्मचारीगण के साथ संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में नन्दना बाजार क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अतरौलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 227/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल पाठक पुत्र रामनिवास पाठक निवासी कदेरुपुर, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अंबेडकरनगर, उम्र 25 वर्ष को नन्दना अंडरपास के पास से दिनांक 17/18.06.2026 को समय 23:30 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में खुलासा-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त विशाल पाठक द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 18.05.2026 को ग्राम रिठिया के पास वादी की अपाचे मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन लूटने की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में लूटा गया ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा प्रयास जारी हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 227/2026, धारा 309(4), 317(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विशाल पाठक पुत्र रामनिवास पाठक निवासी कदेरुपुर, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अंबेडकरनगर, उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी-

1. एक मोबाइल फोन (OPPO कंपनी)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2. का0 मनीष यादव, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
3. का0 रणवीर वर्मा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।